

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मीना नायर 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड - II

3. वर्तमान वेतन 6900/- P.M. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़ग़ोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>NIL</u>							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पहला, पह चौथवा-पत्र पर का प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Meenavari
21/1/2026
 नाम मीना नायर
 पद स ग्रेड - II

9/11/2024/10
8/23/11

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

राष्ट्रियक सेवा - II

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती आरती एन. किराननी 2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 60900/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01 July 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोट, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्रीमती आरती एन. किराननी परिसर 2C स्टाफ क्वार्टर वांग, भोपाल (मड)	गोपाल किराता अधिकारण के प्राप्त पुस्तक (फ्लैट)	-	22,00,000/- (2 करोड़ लाख मात्र)	-	स्वयं द्वारा बैंक से लोन लेकर खरीदा गया है	84,000/- (चौरास हजार मात्र)	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह उस सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।

हस्ताक्षर पुस्तक
नाम श्रीमती आरती एन. किराननी
पद राष्ट्रियक सेवा - II

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबत सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार शीवाल 2. वर्तमान धारित पद कंसपक ग्रेड - 2
 3. वर्तमान वेतन 43300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शेहनाई नगर फेस II लालकी गार्डन खजुरी कला रोड कोफला (रू. 5)	मकान 800 वर्ग फीट पट्टा			स्वयं एवं पत्नी के नाम पर गृहभोग आन्ध्रप्रदेश सेलेक्टर बन काया है।	वर्ष 2012 में पत्नी के नाम पर खरीदा		

* जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवान् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वाधित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबत सम्पत्ति के ब्यौरे हों।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम अशोक कुमार शीवाल
 पद कंसपक ग्रेड - 2
खजुरी कला

W. 229 - 2 थापना अ. 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **BAZAR SHER KHAN** वर्तमान धारित पद **ए.एस.एस. - II**

3. वर्तमान वेतन **59100/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **JULY-2026**

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
158 बाराभाजी नाल दोसांगवाडी रोड ओपाम	खरौद 750 घ.म.2	—	ल.म.१२१ 45 लाख	वसिहत से प्राप्त	खरौद का नाम	MIL	—
बैरागाव बी.म.सी कोलास रोड, ओपाम	खरौद ल.म.२ 500/घ.म.2	—	ल.म.१२१ 50 लाख	—	—	MIL	—

* जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहीने की अवधि के परचान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।

हस्ताक्षर **श्री. बाजार शेर खान**
 नाम **बाजार शेर खान**
 पद **ए.एस.एस. - II**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२५

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डी.पी. श्री. जयसिंहानी 2. वर्तमान धारित पद सहायक डी.डी. II
3. वर्तमान वेतन 62,700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-26

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"नवाशरी गडि-11" कोटरा मुल्तानाबाद बेहल नगर मोहल	डुलैक अव-1 B-107	-	6-50 लाख रुपये मूल्य	पति- डी.पी. श्री. जयसिंहानी का स्वयं से अर्जित नाम है।	पति का स्वयं - खरीद -	112	रि. 11-9-2010 से स्वयं अर्जित परिवार के साथ मुल्तानाबाद में निवास है।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनसे स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम डी.पी. श्री. जयसिंहानी
 पद सहायक डी.डी. II

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जयप्रकाश कुमार चौधरी 2. वर्तमान धारित पद अ.हा.डीडी-II
 3. वर्तमान वेतन 6,27,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>नं. 45/466</u> <u>श्री. प्रदीप चौधरी</u> <u>व. 1/2 (ग्रामपाल)</u>	<u>ग्रामपाल</u> <u>एन</u> <u>04 दुकी</u>	—	—	—	<u>पट्टा संपत्ति</u>	<u>10000/-</u>	<u>श्री. प्रदीप चौधरी</u> <u>2022 में खिरी</u> <u>श्री. अरवि चौधरी</u> <u>दुकी संपत्ति</u> <u>श्री. अरवि चौधरी</u>

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवकों के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जयप्रकाश चौधरी
 नाम जयप्रकाश कुमार चौधरी
 पद अ.हा.डीडी-II

W-229-2 (आपना) अ-700-

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गणेश ऊरु चौधरी जे.पी.एन.कॉलेज वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन 55700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/7/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **छोटा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जिला नरसिंहपुर संभाग - जे.पी.एन. ग्राम - चौदण्डेबाड़ा	-	2प्लॉट	5,00,000/-	स्वयं	विरासत	11000/-	
जे.पी.एन.	गृह	30x60	80,00,000/-	स्वयं/पट्टा	लगातार खरीदा गया 1997 में ताम्बूर शुक्ति कर्मचारी जे.पी.एन. का	12000/-	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आयुक्त) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक ब्यापक परीक्षा की अवधि के परीक्षा पर प्रवेश पर भा कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके अर्जितत्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के श्रेणी दें।

हस्ताक्षर गणेश ऊरु चौधरी
 27/01/2026
 नाम गणेश ऊरु चौधरी
 पद कक्षा 235-2

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-1000/-

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अर्जल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **मैथिली चर्की** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड-2**
 3. वर्तमान वेतन **५५,६००/-** अगली वेतनबृद्धि की तारीख **०१/०७/२०२६**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा भूद्वी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका राजस्वकीय क्रमपत्र से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विवादात्त, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जल की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्थिति	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिभूतिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सेवा ग्राम पोस्ट लोमियाकला जिला सेवा (अर्जल)	गृह	NIL	1,30,000/-	स्वयं के नाम	पिता के पास मुहूर्तकी	स्वयं की किराये	
		590 कॉफी	कलेक्टर स्टेशन	जमी के नाम की रजिस्ट्रारकी	पुकी केवलोन स्टेशन के नाम मुकी	—	

* जरा सावधान होकर देखिए।
 ** एसे धारित में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण कदा संभव न हो, वहाँ वर्तमान मूल्य के सन्दर्भ में अनुमान मूल्य बतलाया जाय।
 *** सार्वजनिक अस्वत्सत्त्वों पर धरे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : पारदर्शिता, राजस्वकीय सौदाग (अनुपल) विधाय, 1959 के नियम 18(2) के अधीन प्रथम दर्जा, द्वितीय दर्जा तथा तृतीय दर्जा के प्रत्येक तहसील में यह अधिष्ठित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बतौर सही की अवधि के समाप्त या परिवर्तन पर पर का प्रत्येक की ओर प्रथम यह तहसील के अधिकारी को तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उसे विवादात्त में किसी का उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर धरे या बंधक पर उसका हस्त धारित होना आवश्यक अर्जल सम्पत्ति के अन्तर्गत है।

इसका
 1. **मैथिली चर्की**
 2. **सहायक ग्रेड-2**

सेवाधीन कार्यालय,
 माध्याह्निक शाखा मुख्यालय सेवा
 (अर्जल)

W-0-28A-3A-दि-24-1-022-1000 %

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जयराम छारी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-2
3. वर्तमान वेतन 43300/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्वरूप		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्वीरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जयराम छारी म. नं० 6 साठम लक्ष्मी कालोनी इन्दौर	स्वयं के नाम पर	स्वयं के नाम पर	210000/- जोड़की का मकान	स्वयं	क्रय कर वनवासा	नहीं है स्वयं निवास	
जयराम छारी प्लॉट नं० B-107 श्रीकृष्ण राम कालोनी इन्दौर	स्वयं के नाम पर	स्वयं के नाम पर	200000/- लोन ड्रा लिमा गमा	स्वयं	प्लॉट राजिस्ट्री का लोन ड्रा लिमा गमा	नहीं है	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदस्य से वह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के बारे में दें।

हस्ताक्षर... यजस्रामनाम जयराम छारीपद सहायक ग्रेड-2साम्प्रदायिक कार्यालय
साठम लक्ष्मी कालोनी

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-1000 %

97/2417
8
22/11/26

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है "राजेश प्रसाद जर्मकार" 2. वर्तमान धारित पद "सहायक २" 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिन को तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम - जोहर देवास जिला - हीवा	इलाक	देवास	1,00,000/-	राजेश प्रसाद के नाम पर धारित	राजेश प्रसाद के नाम से धारित 48 बीघे - देवास	50,000/-	

* इस तालुके में दो अक्षर दर्जिए।
 ** इसे प्रत्येक में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विवरण के संदर्भ में अंदाजा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अनुकूलताएँ पट्टे भी सम्प्रेषित हैं।
 टिप्पणी : अध्यादेश शासकीय सेवा (आपूर्ति) विधायक, 1959 के विधायक 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्ग में यह अधिष्ठित है कि वह जो भी पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बतौर माली की अवधि के परामर्श पर जोषण-पत्र पर का प्रस्ताव को और प्रथम यह उनके स्वयंपादक को तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा इस विवरण में मिली या उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा धारण के अधीन है।

हस्ताक्षर राजेश प्रसाद जर्मकार
 सहायक २
 जिला शिक्षा अधिकारी हीवा

W-0-287-37-दि-24-1-022-10007.

9/11/2025
8/2/11

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो डोमकार सिंह ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद सबमो नर्स-2
 3. वर्तमान वेतन 42000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>ब्लॉक-<u>खानसिरी</u> पोस्ट-<u>मोगलिया</u> जिला-<u>इ-फोर</u> मि-<u>प</u></p>	<p>गृह निर्माण</p>	<p>खरीदी गई रुब व</p>	<p>1900000/- रुब</p>		<p>खरीदी करा खरीदी गई है</p>	<p>NIL</p>	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम डोमकार सिंह ठाकुर
 पद सबमो नर्स-2

W-0-28A-3A-14-24-1-022-1000%

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अखिल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गोशाराम भलैया 2. वर्तमान धारित नं. २४१० गे० II
 3. वर्तमान वंश ५२०००१- अगली वेतनबन्धि की तारीख जुलाई २०२६

उस जिले, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख जहाँ विरसत अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री।	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>गोशाराम</u> <u>जिला झोपल</u>	<u>गृह</u>	<u>-</u>	<u>४०,००,०००/-</u>	<u>पत्नी</u>	<u>हाऊसलोज द्वारा मिला</u>		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, १९५९ के नियम १८(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अखिल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम गोशाराम भलैया
 पद २४१० गे० II

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रमेश कोटकर 2. वर्तमान धारित पद सहा. ग्रेड - 2
 3. वर्तमान वेतन 42000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उत्तर जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **छोटा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1) जवाहरपुर	ग्रेड मकान	35x40 वर्ग फीट	12.00 लाख	पत्नी के नाम	वेतन ले वाया कर	Nil	
2) ग्राम, मोहगांव टिक्ता हबेली चिन्हवाडा (पट्टिना) मध्य	कृषि भूमि	04 मुकद	12.50 लाख	स्वयं के नाम	पैसा कु संपत्ति विरासत में	Nil	

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्तित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचल) नियम, 1959 के नियम 10(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी होब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परधान यह घोषणा पर भा कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम रमेश कोटकर
 पद सहा. ग्रेड - 02
संभागाचार्य/सा. शिवा मठवा
जवाहरपुर, मध्य

W-0-र-शा-अ-दि-24-1-022-1000 %

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पुनर्चंद कौल 2. वर्तमान धारित पद सहायक प्रिं. 2
 3. वर्तमान पेंशन 117/026 जगदी वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा भूमी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा भूमी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य धवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आर. नं. 9 शकलपुर लखर जिला - 01 कलकत्ता	पट्टा	5655 60 लख	200000	माँ के पास 45	पट्टा	3 लख 20000	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वह वर्तमान मूल्य के 10-20% में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अन्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी : पंचवर्षीय शासकीय सेवा (जापान) नियम, 1959 के नियम 18(2) के अधीन प्रथम केंद्र, द्वितीय केंद्रों तथा तृतीय केंद्रों से पहले के प्रत्येक तदनुषंग से यह अर्जित है कि यह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बराबर महीने की अवधि के पर्यन्त यह धोबण पर धा का प्राप्ति की और इसमें वह उनके स्वयंसेवा की सेवा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के अन्तर्गत है।

हस्ताक्षर
पुनर्चंद कौल
सहायक प्रिं. 2
 माँ के पास नि. 4-मोस्टा (1) ग।

प्रार्थना

प्रथम नियुक्ति के समय अथवा सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्व) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है **अरुण कुमार मिश्रा** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक गृह 2**
 3. वर्तमान वेतन **60900-000** अथवा वेतनबृद्धि की तारीख **जुलाई 2026**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का भाग तथा भूद्वारे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइए कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसके किस प्रकार अधिष्ठित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधन, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अधिष्ठित की तारीख और जिससे अधिष्ठित की गई हो उसका नाम तथा भूद्वारे	संपत्ति से वार्षिक आय	अधिपुत्रिका
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
नई बस्ती पड़रा रीवा	भूकान	40x30 1200 वर्गफुट	250000/-	ह्वये	मण्डल कार्यालय से लोन लेकर 1,97,000-000 सन् 2000 में खनामा गया।	Nil	

नोट: संपत्ति में कोई भी परिवर्तन होना चाहिए।
 ** वर्तमान मूल्य का सही-सही विवरण कक्षा संबंधित हो, धारा 13(1) में वर्णित मूल्य प्रकाशित है।
 *** आय अल्पकालीन चरुते भी वर्णित है।
 टिप्पणी: पंचप्रदेश शासकीय सेवा (आय) विभाग, 1959 के नियम 13(1) के अधीन प्रथम वर्ग, द्वितीय चरुते तथा दूसरे चरुते श्रेणी के प्रत्येक वर्ग से वह अधिष्ठित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक चरुते में जो अधिष्ठित है परमाणु या पौषण-पर पर का प्रयुक्त की और तममें वह अपने स्वयंसेवा का तथा उसके द्वारा अधिष्ठित अथवा उस विभाग में किसी भी उच्चतर चरुते पर या उसके पश्चात् क किसी चरुते के नाम पर या किसी अन्य चरुते के नाम पर चरुते या संबंधित पर उसके द्वारा धारित संपत्ति अथवा सम्पत्ति के अधीन है।

दिनांक **19/1/2026**
 नाम **अरुण कुमार मिश्रा**
 पद **सहायक गृह 2**

W-0-287-37-दि-24-1-022-1000%

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

श्री रविशंकर
8
31/01/26

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रविशंकर परिवार 2. वर्तमान धारित पद सहायक 2
3. वर्तमान वेतन 60900 + DA अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<p>पूरा वर्ष 2025 के अनुसार सम्पत्ति की कोई वृद्धि नहीं है</p> <p><u>[Signature]</u> 31/01/2026</p>							

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महाने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के श्रेणी दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम रविशंकर परिवार
 पद सहायक 2

फार्म


*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कप सिंह ठाकुर, परीक्षा संशोधन शिपाया वर्तमान धारित पद सह जे II

3. वर्तमान वेतन 60,100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अनिर्जित किया गया ** खरोह, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा जर्जन की तारीख और जिससे अनिर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुक्तिपुरा परीक्षा जे II कोलार रोड शिपाया	गृह	1500 वर्गफुट	50 लाख	पत्नी के नाम	बैंक मुद्रण द्वारा	निरंक	निरंक

जहां लागू न हो कार्ट सीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान दिवस के मूल्य में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम वेतनी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी लेब के प्रत्येक पदवी से यह अनिर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाद महाने का अर्द्ध है परन्तु यह घोषणा पर पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व को तथा उसके द्वारा अनिर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के उल्लेख दें।

हस्ताक्षर 
 कप सिंह ठाकुर
 सह जे II

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

महेन्द्र कुमार शर्मा

2. वर्तमान धारित पद

सहायक जेड - II

3. वर्तमान वेतन ... 60900-00 ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01-07-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 समतल गढ़ भोपाल	भूमि	6500 Sq Ft	1400000/- चौदह लाख	श्रीमती वनिता शर्मा (पति)	PF Part final एवं LIC से प्राप्त राशि से	NIL	
02 कनक शृंगा कॉलोनी ग्राम साहेब खेड़ी उज्जैन	भूमि	10000 Sq Ft	2000000/- दो लाख	श्रीमती वनिता शर्मा (पति)	स्वयं एवं पति द्वारा की गई वचन	NIL	
03 विनायक सीटि ग्राम सांवर खेड़ी उज्जैन	भूमि	1485 Sq Ft	1500000/- पन्ध्रह लाख	स्वयं के नाम पर	PF एवं बैंक लोन अग्र	NIL	
04 प्रियंका नगर भोपाल	भूमि	1200 Sq Ft	4000000/- चाबीस लाख	श्रीमती वनिता शर्मा (पति)	बैंक लोन अग्र	NIL	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवृत्त) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा
सहायक जेड - II

W-0-277-35-दि-24-1-022-1000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो शशि एल.पाल 2. वर्तमान धारित पद ए.जे-२ नि.
 3. वर्तमान वेतन 19200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जनवरी 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
RV-41 इण्डस गार्डिन खापड़िया कला भोपाल (म.प्र.)	गृह 22x41 TOTAL 990 वर्गफिट			एल.पाल	LIC लोन एल. परिवार के सहयोग से वर्ष 2003 में अर्जित किया गया।		

* जहां लागू न हो कार्ट टीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान पत्र धारण करे और उसमें वह अपने स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के श्रेणी दे।

हस्ताक्षर शशि एल.पाल
 नाम शशि एल.पाल
 पद ए.जे-२ नि.

W-0-रशा-अ-दि-२५-१-०२२-१०००/१

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

श्री श्रीमान
श्री आर

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो पीताम्बर मोरे 2. वर्तमान धारित पद सहायक सेड-2
3. वर्तमान वेतन 38,400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्याम-भेड़ोरी हल्का क्रमोक्त 33, विकास खण्ड फर्रुखा तहसील इधूर, विला-शोपाल, रगसरा क्रमोक्त 94/1, स्थं 101		भू-खंड क्रमोक्त-02 1,000/- पंजीकृत	8,50,000/-	स्वयं के नाम से	स्वयं की जयपुर में के सहयोग, सौभाग्य से क्रय, स्वयं यूको बैंक से क्रय से अर्जित किया गया है।		

28/07/26

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अंतरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरी दें।

हस्ताक्षर
नाम पीताम्बर मोरे
पद सहायक सेड-2

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

श्रीमती अर्चना गौतम (मान.शि.मं०)

2. वर्तमान धारित पद

सहायक ग्रेड-2

3. वर्तमान वेतन

36200/-

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01/07/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. अमरावती खुद भोपाल	गृह	-	43,00,000/- (तिरतालीस लाख मात्र)	श्री सुरेश कुमार गौतम (पति)	खरीद (30/10/2015) भोपाल विकास प्राधिकरण	-	-
2. बाकायदा कला भोपाल	फ्लैट	-	19,00,000/- (उन्नीस लाख मात्र)	स्वयं	खरीद (15/11/2018) आकार बिल्डर्स	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

अर्चना गौतम
16/01/2026

नाम

अर्चना गौतम

पद

सहायक ग्रेड-2

W. 229 - 2 (आपन) अतः 700 -

CR

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती सुहा सुक्ला 2. वर्तमान धारित पद सी.डी. यू.ओ.-२
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 20२६

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा खीरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा खीरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मन्दावा प्रखण्ड रायपुर खंड-१-२, २०८ गौरीपुर उप मांषाल	घर		₹11,00,000/- (दस लाख बीस हजार)	श्री ए. डी. सुक्ला (पति)	बैंड लोन पर प्राप्त जी डी एल-१०५००० १९९६	Nil.	
मन्दावा प्रखण्ड रायपुर खंड-१-२, २०७ रायपुर राय गौरीपुरा मांषाल	रिहास घर		₹18,00,000/- (अठारह लाख)	१-बय.	अभिव्यक्ति जिला खंड-१-२-२०५ २०१५	Nil	
गौरीपुरा मांषाल	घर		₹26,00,000/- (दस लाख बीस हजार)	१-बय.	पति एवं लंबे उमे पति की कपतल २०१०	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में सराफा मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदर्थ से यह अर्पित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पहला यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल संपत्ति के खीरे दें।

हस्ताक्षर श्री सुहा सुक्ला
 नाम श्रीमती सुहा सुक्ला
 पद सी.डी. यू.ओ.-२
मांषाल जिला रायपुर
मं. उ. मांषाल

Year-2026

70-229/19
8
19/1/26

19-01-2026

26

GAD Forms (W) I

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2026

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो Vijayanand Sharma 2. वर्तमान धारित पद Asst. Grade - II^d

3. वर्तमान वेतन 5910/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.01.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Salliga, Barwadiyaka Bhopal.	Flat	-	Approx 28 Lakh.	Self & wife's Name	Purchased with personal savings and a loan from HDFC Bank.	Nil.	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पहचान पत्र पर धारण कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Vijayanand Sharma 19-01-26
 नाम Asst. Grade - II^d
 पद

W-229-2 (पान) अ 700 -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार झा 2. वर्तमान धारित पद सहा. ग्रेड II
 3. वर्तमान वेतन 57,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई - 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मं.नं 412 कृष्णा ग्रीस बोसाईवी हिन्दोतिगा आलम कोलार रोड गोपाल (मं.५०)	गृहभवन	Nil	27 लाख लगभग	पति व पति	लोन से खरीदा	Nil	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम अशोक कुमार झा
 पद सहा ग्रेड II

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

११/१५/१५
८/२५/२२

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - किसन जीसे 2. वर्तमान धारित पद - सहायक-३
3. वर्तमान वेतन 3600/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 2025

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
३५.२	-सह	निर्दिष्ट	600,000/- अधिक	-पत्नी का स्वयं के नाम पर	- ¹⁰ कैक हासि २९०१ लैकर	निर्दिष्ट	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर
नाम किसन जीसे
पद सहायक-२

W-0-रशा-अ-दि-२५-१-०२२-१०००/१

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५-२६.

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो संजय कुमार जायसवाल 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-2

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई-2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, परदा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① 5/7 परदेसीपुरा इन्दौर (म.प्र.)	भवन	-	Rs. 77 लाख लगभग	स्वयं के नाम पर विशसन से प्राप्त (पैतृक सम्पत्ति)	विशसन (पैतृक सम्पत्ति)	लगभग Rs. 2.40 लाख (दो लाख चालीस हजार) भक्तान से प्राप्त विशसन (वार्षिक)	-

* जहां ताम्बू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उमें विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर S. S. S. S. S. 19/1/2026

नाम संजय कुमार जायसवाल
 पद सहायक ग्रेड-2
(विशिक्षक)
भा.शि.भ.भोपाल

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो विमल कुमार-चतुर्वेदी 2. वर्तमान धारित पद सहा. ग्रेड-2

3. वर्तमान वेतन 51700/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा श्रेणी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उने किस प्रकार अर्जित किया गया **खोद, परदा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा श्रेणी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिपुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1- ग्राम-शाहबा, औरैया	आवासीय भवन	-	10 लाख	श्री कीरेन्दु सिंह पिता	चैत्रक	NIL		
2- ग्राम-शाहबा, औरैया	कृषि भूमि	20 बीघा	30 लाख	- " -	} तथैव	02 लाख वार्षिक		
3- ग्राम-बन्हेरी, औरैया	कृषि भूमि	18 बीघा	20 लाख	- " -			} तथैव	
4- औरैया, U.P.	व्या. भवन	-	50 लाख	- " -			} तथैव	
5- ग्राम-महाराजपुरा, ग्वा.	आवासीय भवन	-	10 लाख	स्वयंके नाम	पिता द्वारा रूप	NIL		

जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 13(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदुक्त वेतन अर्थात् वेतन में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढ़ाव पाने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उने विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित लगत अवल सम्पत्ति के श्रेणी दें।

हस्ताक्षर विमल कुमार-चतुर्वेदी
 09/01/26
 सा. ग्रेड-2

सहा. कार्य. मा. शि. सं. उवालिम्बर

W-0-रशा-अ-दि-24-1-022-10000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो जोपाल प्रसाद खोन्सा 2. वर्तमान धारित पद सहायक सेड-II
 3. वर्तमान वेतन निम्नानुसार अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/10/2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Plot No - 35, British Park chhan Bajpuri Road Bhopal JPER college के सामने	गु-खोद (खोद)	-	लगभग 32.00 बख	पत्नी के नाम से	SBZ Bank Bhopal से खरोद, मालावा स्वं स्वयं के खचर राशि से	NILL	NILL

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवर्जन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्थायित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर जोपाल
 नाम जोपाल प्रसाद खोन्सा
 पद सहायक सेड-II

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो आशीष बुन्देला 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड - 2

3. वर्तमान वेतन नियमानुसार अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01.07.2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा स्त्री		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा स्त्री	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
प्लॉट नं. 01, डायमंड सिटी, ग्राम कलखेड़ा, शतीबड़, जिला भोपाल (म.प्र.)	भू-खण्ड (प्लॉट)		लग. 04.00 लाख	पत्नी के नाम पर	ऋण एवं धर्मितगत बचत से	Nil	Nil
प्लॉट (LIG) रिवेरा टाउन के पास, राहुल नगर, भोपाल	प्लॉट		लग. 22.00 लाख	पत्नी एवं स्वयं (संयुक्त)	SBI भोपाल से ऋण माताजी एवं स्वयं की बचत से	3.12 लाख	Nil

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधि के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अवकाश) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के परधान यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अबल सम्पत्ति के स्त्री दें।

हस्ताक्षर

Ashish

नाम

आशीष बुन्देला

पद

सहायक ग्रेड - 2

W-0-28A-3A-दि-24-1-022-1000/.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रेखा शाक्य 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-III

3. वर्तमान वेतन 36,200/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **ख़रीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आकृति हाइवेज ग्राम - फंदाकला जिला - भोपाल (म०प्र०)	L-75 डुप्लेक्स	-	15 लाख लगभग	स्वयं	IDBI बैंक फाइनेंस भोपाल (म०प्र०)	-	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवान् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनका स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर Rakhy 16.01.26
 नाम रेखा शाक्य
 पद सहा. ग्रेड-III

W-229-2 थापना अ 700 -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो दीपक सोलंकी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-2
3. वर्तमान वेतन 35100/- अगस्त वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कृष्ण सुदामा कालोनी बिरतान रोड रवरगोन म.पु.	मकान 20X40=800	-	20,000/-	समुक्त नाम	ICIC बैंक से खरीद लेकर	50000/-	
केएस टाऊन कालोनी राज (इन्दौर) म.पु.	भुखण्ड 15X50=750	-	8,00,000/-	"	H.d.f.c. बैंक से खरीद लेकर		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक तदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार वहीने की अवधि के परधान यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अबल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

D. Solanki

नाम

दीपक सोलंकी

पद

सहायक ग्रेड-2

W-0-रुशा-अ-दि-24-1-022-10000/1.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२६

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **दिनेश कुमार सोलंकी** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड - 2**
3. वर्तमान वेतन **35100** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२६**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आनंद विहार खजुवा रोड इन्डोर एमार्च नं-580	एमारच 20x40 800 वर्ग फीट		7. एमारच (भगभ्रग)	स्वयं व पत्नी के समुक्त नाम से.	लेक से लोन लेकर	—	—

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्यन्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह अपने स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसी विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

इसका धर **दिनेश कुमार**नाम **दिनेश कुमार सोलंकी**पद **सहायक ग्रेड - 2**

संभागीय कार्यालय मा. शिक्षा मण्डल इन्डोर (म.प्र.)

W-0-27A-3A-दि-24-1-022-10000/1

फार्म
***प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अजय सिंह शर्मा 2. वर्तमान धारित पद असिस्टेंट जेड-II
3. वर्तमान वेतन 40800 + D.A अगली वेतनबृद्धि की तारीख 01/07/26

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि यह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरी	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① स.न. 140 गुंफा नगर 11 मीन के पास श्रीमान (त.प.)	मायाल गृह	-	50,00,000/-	सिता के नाम पर			
② प्लॉट अटि जेड गजेश्वर नगर जयपुर (त.प.)	अटि जेड	-	15,00,000/-	"			
③ प्लॉट नं. 22 सुन्दर बागवती नगर श्रीमान के पास जयपुर (त.प.)	गृह	-	20,00,000/-	स्वयं के पत्नी के नाम पर			

* जहां लागू न हो कार्ट दीजिए।
** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
*** इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।
टिप्पणी: माध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आव्रण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेब के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार होने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पर पर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरी दें।

हस्ताक्षर अजय सिंह शर्मा
नाम अजय सिंह शर्मा
पद असिस्टेंट जेड-II

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सुमित बाथम 2. वर्तमान धारित पद स. ग्रे. II

3. वर्तमान वेतन 35100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2026

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **छोटा, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपाल	निवाला ग्राम-सुशीपुरा	800 वर्ग मीटर	रकम नहीं	स्वयं व पत्नी के नाम	लैंड से श्रद्धा व स्वयं की कयत से	निरले	निरले

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : माध्यम प्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर [Signature]
 नाम सुमित बाथम
 पद स. ग्रे. II

दिनांक :- 20/01/2026

W-0-र-शा-अ-दि-24-1-022-1000 %

9/2/2026
8

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२५-२६

- 1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मदनसिंह भूवेळ 2. वर्तमान धारित पद सहा. डेप्ट-२
- 3. वर्तमान वेतन 36200 अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२६

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरी		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलावें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38.शांति परिसर शाफरवासा देवास रोड, उज्जैन जिला-उज्जैन (म.प्र.)	भवन	-	23,21000/-	स्वयं के नाम	L.I.C से राशि रुपये 18,00000/- होम लोन स्वं बोध राशि रुपये 5,21000/- वेतन से वचन	NIL	-

* जहां लागू न हो काट दीजिए।
 ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परवाना यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उभरें वह उनके स्थापित की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के अधीन हैं।

हस्ताक्षर मदनसिंह भूवेळ
 नाम मदनसिंह भूवेळ
 पद सहा. डेप्ट-२
 संभागीय कार्या. मा. वि. म. उज्जैन